मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-7

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 (अग्रहायण 19, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 45 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 60 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन की ओर से लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा न कराये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि -

नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 23 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा मैंने प्रदान की है, जिसके लिये यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम10 सूचनाओं को संबंधित सदस्यों द्वारा सदन में पढ़ा जायेगा, उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा.

मै समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, सदस्य की पन्ना जिले में जिला खाद्य अधिकारी एवं जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा खाद्य एवं मिट्टी के तेल की कालाबाजारी किये जाने,

(2) श्री निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी जिले में लीज धारियों को भू-प्रवेश की स्वीकृति न दी जाने,

(3) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नल योजना के कार्यों का पूरा न होने,

(4) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा गरीबों को शासन द्वारा घोषित सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध न किये जाने

(5) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की ग्वालियर जिले के जल संसाधन डबरा अन्तर्गत सूखा राहत के तहत आवंटित खाद्यान्न वितरण में अनियमितता होने,

(6) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य की सागर जिले के कार्यपालन यंत्री द्वारा अनियमितता किये जाने,

(7) कुं. विजय बहादुर सिंह बुन्देला, सदस्य की कृषि उपज मंडी समिति छतरपुर तथा लोड़ी राज नगर बड़ा मलहरा में अनुज्ञा पत्रों में भ्रष्टाचार होने,

(8) श्री रामदास उईके, सदस्य की जामई के अन्तर्गत पेंच पेयजल आवर्धन परियोजना के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने,

(9) श्री प्रेमचन्द गुड्डू, सदस्य की माखनलाल पत्रकारिता विश्व विद्यालय, भोपाल एवं इंदौर में संचालित महाविद्यालय में विशेषज्ञ प्रोफेसर की सुविधाओं का अभाव होने,

(10) श्री लाखन सिंह बघेल, सदस्य की जिला शिवपुरी के दतिया जिले के ग्रामों को जोड़े जाने का रिकार्ड न देने, तथा

(11) श्री जगन्नाथ सिंह, सदस्य की माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं के परीक्षा फार्म मान्यता प्राप्त संस्थाओं से भराये जाने,

(12) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की जिला उज्जैन से इंदौर शहर के बाण गंगा थाने से नरवल हाईवे सड़क मार्ग पर अतिक्रमण होने,

(13) श्री फूल सिंह मेवाड़ा, सदस्य की मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल राजीव नगर स्थित भोपाल अयोध्या नगर में निर्मित आवास अनुबंधित अनुसार निर्माण न किये जाने,

(14) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य की मध्यप्रदेश शासन के नई दिल्ली स्थित अतिथि गृह में अधिकारियों द्वारा आरक्षण की जानकारी स्पष्ट न दी जाने,

(15) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की मुख्यमंत्री सहायता कोष/*स्वेच्छानुदान मद से आर्थिक सहायता दी जाने,*

(16) श्री शांतिलाल धवई, सदस्य की भोपाल स्थित मेमोरियल हास्पिटल द्वारा स्मार्ट कार्डों में त्रुटियाँ होने,

(17) युवराज तुकोजीराव पवार, सदस्य की देवास शहर के कई रेस्टोरेंट व होटलों में आबकारी नीति के अंतर्गत लायसेंस न होने व अवैध रूप से संचालित होने,

(18) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के हनुमना, मउगंज तहसील एवं नईगढ़ी विकासखण्ड को मिलाकर जिला बनाये जाने,

(19) श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य की अवैध अस्थायी विद्युत कनेक्शन देने एवं ट्रांसफार्मर डी.पी. न लगाये जाने से भारी जनहानि होने,

(20) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य की जिला सीधी आदिम जाति कल्याण विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन भुगतान न किये जाने,

(21) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य की मंदसौर जिले के सीतामऊ क्षेत्र में दलौदा शुगर मिल कई दिनों से बंद होने,

(22) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की डबरा (ग्वालियर) सिंध नदी में कूड़ा कचरा डालने से पानी अत्यधिक प्रदूषित होने से जनता में आक्रोश होने,

(23) श्री जय सिंह मरावी, सदस्य की सतना जिले की तहसील मैहर अन्तर्गत भटूरा मार्ग का निर्माण कार्य ठप्प होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्रामोद्योग मंत्री ने मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001,

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, राज्यमंत्री, परिवहन ने मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक-5 सन् 1991) की धारा 21 की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक एफ-22-227-2002-आठ, दिनांक 15 जुलाई, 2004; तथा

(ख) क्रमांक एफ-22-18-2004-आठ, दिनांक 16 अगस्त, 2004

पटल पर रखे।

4. सभा द्वारा यथापारित मध्यप्रदेश लोक सेवा (अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2002 के संबंध में महामहिम राज्यपाल की ओर से प्राप्त संदेश का पढ़ा जाना तदुपरांत पुनर्विचार के लिए लौटाए गये विधेयक को पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2002 को यथापारित मध्यप्रदेश लोक सेवा (अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2002 (क्रमांक 25 सन् 2002) के सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुआ है, जो इस प्रकार है :-

"मध्यप्रदेश लोक सेवा (अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2002 (क्रमांक 25 सन् 2002) राष्ट्रपति के विचारण के लिए आरक्षित किया गया था, यह विधेयक इस निर्देश के साथ वापस प्राप्त हुआ है कि विधेयक मध्यप्रदेश राज्य विधान-मण्डल को इस सन्देश के साथ लौटाया जाए कि वह उस पर पुनर्विचार करे और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के कुल प्रतिशत को 50 प्रतिशत तक निर्बन्धित करें.

अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अधीन मैं इस विधेयक को विधान सभा के पुनर्विचारण हेतु वापस करता हूं"अब प्रमुख सचिव इसे पटल पर रखेंगे।

प्रमुख सचिव (विधान सभा) डॉ. ए.के.पयासी द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2002 को यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गए रूप में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2002 (क्रमांक 25 सन् 2002) को मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 91 (2) की अपेक्षानुसार इसे पटल पर रखा गया।

5. वक्तव्य

प्रदेश में विद्युत प्रदाय की स्थिति के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, श्री बाबूलाल गौर ने वक्तव्य दिया।

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रदेश में विद्युत संकट की गंभीर स्थिति पर शासन द्वारा उचित कार्यवाही न किये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

6. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज की कार्यसूची में 38 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम 6 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) सर्वश्री बृजेन्द्र तिवारी, गजराज सिंह सिकरवार, डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने खाद्य विभाग द्वारा नियुक्त डीलरों/सबडीलरों के द्वारा केरोसीन की कालाबाजारी किये जाने की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रुस्तम सिंह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के मऊगंज सहित अनेक क्षेत्रों में उल्टी-दस्त के प्रकोप के संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(3) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य ने भिण्ड जिले में ट्यूबवैलों से पानी न मिलने से फसलों को हुई क्षति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गंगाराम पटेल, राज्यमंत्री, जल संसाधन ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री नारायण त्रिपाठी, बंशमणि प्रसाद वर्मा, अर्जुन पलिया, सदस्य ने मैहर स्थित मां शारदा धाम के प्रधान पुजारी के सम्मान के संबंध में राज्यमंत्री, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लक्ष्मींकांत शर्मा, राज्यमंत्री, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(5) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, कमल पटेल, लाल सिंह आर्य, सदस्य ने इंदौर जिले के भू-अर्जन अधिकारी द्वारा ग्राम रंगवासा के कृषकों की भूमि का अधिग्रहण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कैलाश चावला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(6) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर जिले में साख सहकारी संस्थाओं को शासन द्वारा डी.ए.पी. खाद उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

सदन में पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं तथा पटल पर रखे माने गये उत्तर

(7) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की जिला छतरपुर के बाल संप्रेषण गृह से कैदियों के फरार होने संबंधी सूचना तथा सामाजिक न्याय मंत्री का वक्तव्य।

(8) श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य की इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत भूमि अर्जन तथा भूमि का मुआवजा दिये जाने में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा नर्मदा घाटी विकास मंत्री का वक्तव्य।

(9) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की ग्वालियर जिले की डबरा शुगर मिल द्वारा किसानों के गन्ने के दाम का भुगतान न किये जाने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य।

(10) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य की सीधी जिले के ग्रामों में सरई विद्युत वितरण केंद्र द्वारा विद्युत प्रदाय न करने से फसलों को हुई क्षति संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य।

(11) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की मुरैना जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर बाजरा की फसल की खरीदी न किये जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का वक्तव्य।

(12) श्री दरबू सिंह उईके, सदस्य की बालाघाट जिले के बधौली ग्राम में स्थित सिद्धार्थ पोहा मिल के प्रदूषण से ग्रामीणों में फैल रही बीमारी संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण का वक्तव्य।

(13) श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य की बड़वानी जिले में अवर्षा के कारण फसल सूखने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(14) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी न किये जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का वक्तव्य।

(15) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुन्देला, सदस्य की छतरपुर जिले के थाना लौड़ी स्थित चंदला रोड पर रखे डामर के ड्रमों को असामाजिक तत्वों द्वारा जलाये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(16) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सदस्य की स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय विद्यालयों के संबंध में पूर्व आदेश को निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(17) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में चंबल नहर से सिंचाई हेतु पानी न छोड़े जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(18) श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य की सागर जिले के बीना में गार्ड द्वारा भय एवं आतंक फैलाये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(19) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की मुरैना जिले के सहकारी शक्कर कारखाना द्वारा गन्ने का उचित मूल्य एवं कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किये जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य।

(20) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य की पन्ना जिले के जल संसाधन संभाग द्वारा सूखा राहत एवं विशेष घटक सूखा के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(21) श्री विक्रम सिंह उर्फ नातीराजा, सदस्य की छतरपुर नगर के मुख्य मार्गों के डामरीकरण में जले हुये मोबिल का उपयोग किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य।

(22) श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य की प्रदेश में नकली घी बनाने का कारोबार चलने के संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का वक्तव्य।

(23) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के नगरीय निकाय चुनाव में एक व्यक्ति की हत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(24) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य की सागर जिले के जैसीनगर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(25) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री आरिफ अकील, उम्मेद सिंह बना, सदस्य की मुरैना जिले के थाना पोरसा एवं अम्बाह में पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों पर गोली चालन किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(26) सर्वश्री सत्यदेव कटारे, इन्द्रजीत कुमार, सदस्य की प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत छात्र-छात्राओं को गणवेश एवं साइकिलों का प्रदाय न किये जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(27) श्री बाबूलाल महाजन, सदस्य की पश्चिम निमाड़ में लाल इल्ली के प्रकोप से कपास की फसल नष्ट होने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य।

(28) श्री रविन्द्र सुका महाजन, सदस्य की बुरहानपुर जिले के विकासखंड खकनार ग्राम पंचायत नानखेड़ा में स्टाप डेम के कार्य में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(29) श्री सुदामा सिंह, सदस्य की अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में ओला पीड़ित किसानों को राहत न दिये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(30) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य की जिला मुरैना से प्रदेश एवं बाहर किये गये आढ़त विक्रय पर फर्मो से शासन को राशि प्राप्त न होने संबंधी सूचना तथा वाणिज्यिक कर मंत्री का वक्तव्य।

(31) श्रीमती संध्या सुमन राय, सदस्य की मुरैना जिले के सबलगढ़ जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से सिंचाई की मोटरे चोरी होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(32) श्री रामगुलाम उइके, सदस्य की जिला डिण्डोरी में शहपुरा क्षेत्र के ग्रामों में आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के परिवारों की भूमि पर जबरन कब्जा किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(33) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की जिला मुरैना के चम्बल थाना प्रभारी द्वारा क्षेत्र में अभद्र व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(34) श्री दरबू सिंह उइके, सदस्य की बालाघाट जिले के परसवाड़ा के अनेक ग्रामों में किसानों की फसलें कान्हा पार्क के जानवरों द्वारा नष्ट किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(35) श्री सुभाष यादव, सदस्य की खरगोन जिले में खाद्य विभाग की लापरवाही के कारण आवंटित खाद्यान्न की कालाबाजारी किये जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का वक्तव्य।

(36) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की होशंगाबाद जिले की पिपरिया तहसील अंतर्गत रामपुर में एक व्यक्ति की हत्या किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(37) श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य की भिण्ड जिले के गोहद नगर के बेसली बांध में सिल्ट हटाने एवं किसानों को मुआवजा न देने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(38) सर्वश्री सत्यदेव कटारे, रामनिवास रावत, राजेश पटेल, सदस्य की सतना जिले के धार्मिक स्थल चित्रकूट में जमीन विवाद के कारण महंत को जिन्दा जलाने से मृत्यु होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

7. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 47-मलेहरा से निर्वाचित सदस्य, सुश्री उमा भारती को विधानसभा के नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है।

सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री सत्यदेव कटारे, सभापति ने लोक लेखा समिति का 1 से लेकर 58 वां प्रतिवेदन,

(2) श्री रामदयाल अहिरवार, सभापति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन,

(3) श्री बंशीलाल जाटव, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन,

प्रस्तुत किया।

9. नियम 228 के अंतर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री अजय विश्नोई, सदस्य, विशेषाधिकार समिति ने मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि -

कर्नाटक सरकार के अधिकारियों द्वारा उमा भारती, सदस्य विधान सभा को न्यायिक हिरासत में रखे जाने की सूचना विधान सभा को न दिए जाने के संबंध में समिति को जांच एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य की पन्ना जिले के -

(क) ग्राम बनौली स्थित हाईस्कूल का उन्नयन कराये जाने,
(ख) ग्राम मनकी एवं ग्राम पटी के मध्य मड़ाघाट का निर्माण कराये जाने,
(ग) ग्राम इटौरा में शक्ति घाट स्टाप डेम बनाये जाने, तथा
(घ) ग्राम हरदुआ केन पर रपटा बनाये जाने,

(2) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) चौरई नगर में पालीटेकनिक कालेज खोले जाने,
(ख) चौरई नगर में व्यवहार न्यायालय खोले जाने,
(ग) ग्राम समसबाड़ा में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने,
(घ) चौरई नगर में तहसील कार्यालय हेतु भवन निर्माण कराये जाने,
(ङ) चौरई तहसील में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का कार्यालय खोले जाने,
(च) ग्राम कुण्डा में उ.मा.वि. खोले जाने,
(छ) ग्राम झिलमिली में उ.मा.वि. भवन निर्माण कराये जाने,
(ज) चौरई नगर से छिन्दवाड़ा एवं चौरई से सिवनी तक सड़क नव निर्माण कराये जाने,
(झ) चौरई तहसील में उप-कोषालय खोले जाने,
(ञ) ग्राम सिहोरामाल में विद्युत उप-केन्द्र स्थापित किये जाने,
(ट) ग्राम चांद में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने,

(ठ) ग्राम बादगांव में विद्युत उप केन्द्र स्थापित किये जाने,
(ड) ग्राम समसवाड़ा से सांख तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(ढ) ग्राम कुरचाढाना को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाये जाने,
(ण) ग्राम वाड़ीवाड़ा में पेंच नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,
(त) ग्राम हिवरखेड़ी में तालाब बनाये जाने,
(थ) ग्राम चीचगांव में माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कराये जाने, तथा
(द) ग्राम हरदुआमाल से सीतासिर ग्राम के मध्य ओड़ापेंच नदी पर बांध बनाये जाने,

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल जिले के -
(क) भोपाल से विदिशा-दीवानगंज मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा
(ख) भोपाल के कमलापार्क स्थित कदीमा हम्माम पुरातत्व विभाग को सौंपे जाने,

(4) श्री रामलाल रौतेल,सदस्य की अनूपपुर जिले के ग्राम ताराडांड में विद्युतीकरण कराये जाने,

(5) श्री झनकलाल ठाकुर, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -
(क) ग्राम छिन्दी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा
(ख) ग्राम दमुआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(6) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की उज्जैन जिले के -
(क) ग्राम इन्दोख के छोटी काली सिन्ध नदी पर पुल निर्माण कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम झारडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने,

(7) श्री हमीद काजी, सदस्य की बुरहानपुर जिले के लालबाग में स्थित उर्दू हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
संबंधा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

11. वक्तव्य

श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री ने दिनांक 20 जुलाई, 2004 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्रमांक 3517) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

12. अशासकीय विधेयक

(श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण उनके द्वारा दिये गये अशासकीय विधेयक मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 16 सन् 2004) पुर:स्थापित नहीं हो सका)

13. अशासकीय संकल्प

(श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण उनके द्वारा दिया गया अशासकीय संकल्प शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिये, जिसमें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं, के लिये प्रतिवर्ष उनका संपत्ति विवरण सदन के पटल पर रखना अनिवार्य किया जावे और यही प्रावधान निगम मंडल के अध्यक्षों के लिये भी लागू हो इस हेतु शीघ्र नियम बनाये जावें." प्रस्तुत नहीं हो सका)

(2) श्री निशिथ पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि जबलपुर को नियमित वायु-सेवा से जोड़कर इसे व्हाया भोपाल, इन्दौर, नई दिल्ली तथा जबलपुर से व्हाया भोपाल, इंदौर, मुंबई एवं वापसी जबलपुर तक वायु-सेवा प्रारंभ की जावे."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया : -

(1) श्री निशिथ पटेल
(2) श्री अजय विश्नोई

श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) श्री बृजमोहन दास धूत, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के किसानों की निजी भूमि पर खड़े वृक्षों को काटने की अनुमति हेतु नियम शिथिल किया जावे."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया : -

(1) श्री बृजमोहन धूत
(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(3) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(4) श्री हरवंश सिंह

श्री दिलीप भटेरे, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापस हुआ।

14. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर निम्नलिखित उद्गार प्रकट किये गए :-

मध्यप्रदेश की बारहवीं विधान सभा का यह चौथा सत्र अब समापन की ओर अग्रसर है। बारह दिवसीय इस शीतकालीन सत्र में कुल सात बैठकें हुई और वित्तीय तथा विधायी कार्यों के साथ-साथ अनेक लोक महत्व के कार्य सम्पन्न हुए।

इस सत्र में सदन ने वर्ष 2004-2005 की प्रथम अनुपूरक मांगों को अपनी स्वीकृति दी, वहीं 12 शासकीय विधेयक पारित किये गये। सदन में 58 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई। एक सूचना जिसमें नौ सूचनाएं समामेलित थीं, चर्चा उपरान्त शासन के उत्तर के पश्चात् अग्राह्य कर दी गई। इस सत्र में कुल 1352 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 867 तारांकित एवं 485 अतारांकित प्रश्न थे। ध्यानाकर्षण की कुल 477 सूचनाएं प्राप्त हुई एवं सदन में कुल 59 याचिकाएं प्रस्तुत हुई। विशेषाधिकार भंग की 4 सूचनाएं प्राप्त हुई। नियम 139 के तहत अविलंबनीय लोक महत्व के एक विषय पर चर्चा हुई और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा की गई।

इस सत्र के सुचारू संचालन के लिए मैं सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति तालिका के सदस्यों एवं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

मैं विधान सभा सचिवालय एवं शासन के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सुरक्षा कर्मियों के सहयोग का भी आभार व्यक्त करता हूं।

इस अवसर पर मैं प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े सभी लोगों का, जिन्होंने जन समस्याओं को शासन तक पहुंचाने एवं शासन की कार्य योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं।

यह प्रजातंत्र का मंदिर जनता की आस्थाओं का प्रतीक है, जनता ने बड़े ही विश्वास और आशाओं के साथ हम सब को अपने प्रतिनिधि के रूप में यहां चुनकर भेजा है तथा हमसे अपेक्षा की है कि हम उनकी समस्याओं को निराकृत करके इस प्रदेश को विकास के उन सोपानों तक पहुंचायें, जहां से प्रदेश के सम्पूर्ण नागरिक सर्व सुविधायुक्त एवं कठिनाइयों से परे सुखपूर्वक जीवन जी सकें।

हम आप चाहे जिस किसी भी दल से जुड़े हों, चाहे जहां से भी चुनकर आते हों लेकिन सबका लक्ष्य पूरे प्रदेश में जन कल्याण का है और इसके लिए हम सभी अपने अपने ढंग से प्रयासरत रहते हैं।

मुझे विश्वास है कि हम आप सबके प्रयास से हम जनता के कल्याण की योजनाओं के कार्यान्वयन में सफल होंगे। अब हम अगले वर्ष में ही सदन में पुनः मिलेंगे। अतः मैं आप सबको, इस प्रदेश के वासियों को आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं तथा इस प्रदेश की जनता और आप सबकी खुशहाली की कामना करता हूं। आशा है नया वर्ष प्रदेश के विकास में तथा जनता को खुशहाल बनाने के लिए नई ऊंचाइयों को छूने में सहायक होगा। धन्यवाद।

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष, श्री विजय बहादुर सिंह बुन्देला, सदस्य ने भी विचार व्यक्त किये।

15. राष्ट्रगान

सदन में राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान हुआ।

16. सत्र का अनिश्चित काल के लिए स्थगन

1.42 बजे विधान सभा की कार्यवाही आनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.